बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग

पत्रांकः योo4 / मुoक्षेoविoयोo—01 / 2015 1284 / योoविo, दिनांक 31 मार्च, 2020

प्रेषक,

मनीष कुमार वर्मा,
सचिव।

सेवा में,

सभी जिला योजना पदाधिकारी,
बिहार।

विषयः **मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से कोरोना वायरस (Covid-19) की रोक थाम एवं उपचार हेतु राशि व्यय करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि योजना एवं विकास विभाग के संकल्प संख्या—1281 दिनांक 27.03.2020 द्वारा मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से कोरोना वायरस (Covid-19) की रोकथाम तथा इससे संक्रमित व्यक्तियों के उपचार हेतु राशि व्यय करने का निर्णय लिया गया है।

2. विभागीय संकल्प द्वारा मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत् प्रत्येक माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा एवं बिहार विधान परिषद् की वित्तीय वर्ष 2019—20 या 2020—21 की अनुमान्यता राशि के विरूद्ध राज्य स्तर से ही 50 लाख रूपये की कटौती कर स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना में सृजित कोरोना उन्मूलन कोष में उपलब्ध करा दी गई है। इसके लिए माननीय सदस्यों को अनुशंसा करने की आवश्यकता नहीं है।

3. मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से यदि माननीय सदस्य, बिहार विधान मंडल चाहे तो उपर्युक्त 50 लाख रूपये के अतिरिक्त राशि की अनुशंसा उपरोक्त प्रयोजनार्थ मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत पूर्व के वित्तीय वर्षों की अवशेष राशि तथा वित्तीय वर्ष 2020—21 में उपलब्ध होने वाली राशि से कर सकते है। इस संबंध में माननीय सदस्ययों द्वारा अपनी अनुशंसा प्रधान सचिव / सचिव, योजना एवं विकास विभाग को 30 अप्रील, 2020 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाएगी। तदनुरूप माननीय सदस्यों द्वारा अनुशंसित राशि योजना एवं विकास विभाग द्वारा स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार में सृजित कोरोना उन्मूलन कोष में उपलब्ध कराया जाएगा।

अनुरोध है कि उक्त के आलोक में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत कोरोना उन्मूलन कोष में राशि उपलब्ध कराने एवं अनुशंसा अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने हेतु अपने स्तर से सभी माननीय सदस्य, बिहार विधान मण्डल को संसूचित करने का कष्ट करें तथा अनुशंसा पत्र उपलब्ध कराने हेतु उन्हें विभागीय ईमेल—secy-plandev-bih@nic.in अथवा पत्र के द्वारा विभाग को भेजने हेतु अवगत करायेंगे।

विश्वासभाजन

(मनीष कुमार वर्मा)
सचिव